(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक : 1478–पी.बी.आर./2008 – विरूद्व आदेश दिनांक 4–9–2008 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 216/2007–08 अपील

कप्तान सिंह पुत्र कलियाण सिंह गुर्जर
ग्राम नूरावाद तहसील व जिला मुरैना ––––अपीलांट

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ––––रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(म0प्र0शासन के पैनल लायर श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक 7–08–2018 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्र0क0 216/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–9–2008 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर मुरैना को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि मौजा तिघरा वृत्त नूरावाद स्थित भूमि सर्वे नंबर 300 (आगे जिसे वादित भूमि अंकित किया गया है) शासकीय अभिलेख में पोखर दर्ज है किन्तु वह उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 298, 299, 309 से लगी हुई है जिस पर वह कब्जा करके खेती करता चला आ रहा है इसलिये भूमि की नोईयत परिवर्तन करते हुये काविलकास्त घोषित कर दिया जावे। कॅलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 4/2007–08 अ 60 पॅजीबद्व किया तथा वादित भूमि के सम्बन्ध में जांच कराते हुये आदेश दिनॉक 23–1–2008 पारित किया तथा अपीलांट का

आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना ने प्र0क0 216/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–9–2008 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त चम्बल संभाग के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलेकन से यह निर्विवाद है कि मौजा तिघरा वृत्त नूरावाद स्थित भूमि सर्वे नंबर 300 मौके पर पोखर भूमि है पोखर भूमि अर्थात वरषात के समय बहने वाले पानी व्दारा ढलान कर बनाया गया कटाव अर्थात पोखर, जिसमें वरषात के दौरान एंव वरषात के वाद भूमि रिसने से आने वाला पानी अक्सर दीपावली अथवा उसके वाद तक रिसकर भरा रहता है जिसके कारण आमजन के निस्तार का है एंव मध्य प्रदेश शासन के अभिलेख में पोखर दर्ज है इसी भूमि के जल संग्रहण को अन्य तरीकों से निकालकर अपीलांट अतिक्रमण करके खेती करते आना बता रहा है जिसके कारण अपीलांट का यह कारनामा सार्वजनिक हित में नही है। कलेक्टर जिला मुरैना के आदेश दिनॉक 23–1–2008 में इस प्रकार का निष्कर्ष है :–

" राज्य शासन व्दारा जन संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु नवीन तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, नवीन कूप निर्माण एंव कूप गहरीकरण आदि निर्माण कार्य सर्वोच्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि की नोइयत पोखर जो कि सार्वजनिक निस्तार की भूमि है, को एकल आवेदन के आधार पर परिवर्तित किया जाना उचित नहीं है। "

वर्तमान हालातों के सूखते जलश्रोतों के कारण शासन व्दारा वरषाती पोखरों / वरषाती नालों पर पर भूमिगत जल–स्तर बढ़ाने के लिये बंधान बनवाये जा रहे हैं

एंव ऐसी योजनाओं के कारण मौजा तिघरा वृत्त नूरावाद स्थित सर्वे नंबर 300 पोखर की भूमि अपीलांट के हित में नोईयत बदलकर काविलकास्त करने का कोई औचित्य नहीं होने से कलेक्टर मुरैना व्दारा आदेश दिनॉक 23—1—2008 से लिया गया निर्णय आम—नागरिकों के एंव शासन की भावी योजनाओं के हित में है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 4—9—2008 पारित करते समय कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। कलेक्टर मुरैना व्दारा आदेष दिनांक 23—1—08 में एंव अपर आयुक्त चंबल संभाग व्दारा आदेष दिनांक 4—9—2008 में लिये गये निर्णय समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क0 216/2007—08 अपील में पारित आदेश दिनांक 4—9—2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर